रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97 REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 1998/माघ 15, 1919
No. 7] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 1998/MAGHA 15, 1919

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/1/97-जेएनपीटी

द बम्बई कस्टम हाउस एजेंट्स एसोसिएशन.....आवेदक

बनाम

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास.....गैर-आवेदक

आदेश

(2 फरवरी, 1998 को पारित)

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा एक नए अन्तस्थ यार्ड के प्रचालन का आरम्भ करने के संबंध में वाद के शीर्षक में उल्लिखित मामले में इस प्राधिकरण ने इस मामले में जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के कार्यक्षेत्र के बारे में इसकी प्रारम्भिक आपत्ति को अस्वीकार करते हुए और नई व्यवस्था के कार्यान्वयन को "स्थगित" करते हुए 26 दिसम्बर, 97 को एक अन्तरिम आदेश पारित किया था। यह आदेश इस प्राधिकरण की वैध भूमिका का खुला उल्लंघन करके समझी गई स्थिति में केवल प्राधिकरण के स्तर का दावा करने के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मामले को इसके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाने के लिए पारित किया गया था ताकि वह मामले के दोनों पक्षकारों से अभ्यावेदन प्राप्त करने के पश्चात् उनका निपटारा कर सके।

2. जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास ने अपने दिनांक 22 जनवरी, 98 और 27 जनवरी, 98 के पत्रों के तहत 'स्थगन आदेश' का अनुपालन करने की सूचना दी और कार्यक्षेत्र के बारे में कोई कानूनी मुद्दा उठाए बगैर इस मामले की कार्यवाहियों में शामिल होने के लिए पत्तन न्यास का आशय पुन: स्पष्ट किया। गैर आवेदक की ओर से किए गए इस कार्य से मामले की स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन हो गया।

3. जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में नई व्यवस्था के प्रति आवेदक की आपत्ति मुख्यत: लागत के विवेचनों के कारण थी। यद्यपि, इस मामले में (इसकी पुनरावृत्ति) 'स्थगन आदेश' जैसे पहले उल्लेख किया गया है, विशेष विवेचनों पर आधारित थी परन्तु यह मानना होगा कि आदेशों को सामान्यत: अपूरणीय क्षतियों को होने से रोकने के लिए स्थगित किया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गैर-आवेदक ने बिना शर्त और किसी कानूनी आपत्ति के बगैर कार्यवाहियों में भाग लेने की सहमति दे दी है इसलिए आवेदक की याचिका में उल्लिखित लागत विवेचनों से अपूरणीय क्षति होने की संभावना नहीं हो सकती। इसके विपरीत शिपमेंटों में विलम्ब जो जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा 1 फरवरी, 98 से अन्तस्थ यार्ड को 'बन्द' करने की घोषणा से हो सकती है, और जिसमें आयात/निर्यात के ठेकों को रद्द करने का अटैंडेन्ट जोखिम है, से पर्याप्त अपूरणीय क्षति होने की संभावना होगी। इस प्रकार इस मामले

की अगली कार्यवाहियों के दौरान विशेषत: इस संदर्भ में कि दोनों पक्षकार इस प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र को बिना शर्त मान्यता देते हैं, सुविधा का संतुलन स्थगन आदेश को रद्द करने के पक्ष में होगा।

4. तदनुसार इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए गैर आवेदक को 29 जनवरी, 1998 को सूचित किया गया था कि इस प्राधिकरण द्वारा पहले जारी किया गया 'स्थगन आदेश' तुरन्त रद्द कर दिया गया है। यह आदेश उक्त निर्णय का ब्यौरेवार स्पष्टीकरण करके पारित किया जा रहा है।

5. जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास ने सूचित किया है कि केन्द्रीय भांडागार निगम के साथ एक पट्टा करार करने के लिए इस प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करने और पट्टा करार के अन्तर्गत सेवा प्रदान करने हेतु केन्द्रीय भांडागार निगम के लिए प्रशुल्क निर्धारित करने हेतु उचित प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उन्हें यह कार्य शीघ्र करने की सलाह दी जाती है ताकि अन्तिम संकल्प के लिए इस मामले की शीघ्र सुनवाई हो सके।

[सं. ए डी वी टी/III/IV/143/97–एक्सटी]

एस. सत्यम, अध्यक्ष

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/1/97-JNPT

The Bombay Custom House Agents' Association ...Applicant

V/s.

The Jawaharlal Nehru Port Trust ...Non-Applicant

ORDER

(Passed on this 2nd day of February, 1998)

In the case cited in the cause title relating to introduction of a new Buffer Yard operation by the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT), this Authority had passed an interim order on 26 December, 97 rejecting the preliminary objection of JNPT about its jurisdiction in the matter and 'staying' implementaton of the new arrangement. This order was passed not only to assert the position of this Authority in the face of what was perceived to be an open defiance of its legitimate role, but also to bring the whole matter within its jurisdiction so as to be able to adjudicate thereupon after getting representations from both sides to the case.

2. The JNPT vide its communications dated 22 January 98 and 27 January 98 reported compliance of the 'stay order' and further demonstrated the intention of the Port Trust to join the proceedings in this case without raising any legal issue regarding jurisdiction. This development from the side of the Non-Applicant changed substantively the situation of the case.

3. The objection of the Applicant to the new arrangement at the JNPT was primarily on cost considerations. Although in this ase (reiteration of) the 'stay order' was based on special considerations as descried earlier, it has to be recognised that orders are usually stayed to prevent cause of irreparable damaged. In view of the fact that the Non-Applicant has agreed to join the proceedings unconditionally and without any legal objections, the cost considerations set out in the Applicant's petition cannot be said to have the potential of causing irreparable damange. On the contrary, the delays in shipments, that could have been caused by the 'closure' announced by the JNPT of the Buffer Yard operations with effect from 1 February 98, with an attendant risk of cancellaton of import/export contracts, will have the potential of causing consideration damanges irreparably. That being so, during further procedings in this case, especially in the contenxt of both the parties recognising unconditionally the jurisdiction of this Authority, the balance of convenience will lie in favour of vacating the stay order.

4. In recognition of this position, accordingly, the Non-Applicant was informed on 29 January 98 that the 'stay order' issued earlier by this Authority had been vacated with immediate effect. This order is being passed in detailed exposition of the said decision.

5. The JNPT has reported that appropriate proposals are being submitted for seeking the approval of this Authority for entering into a lease arragement with the Central Warehousing Corporation (CWC) and for prescribing the tariff for CWC to provide the service under the lease arangement. They are advised to do so quickly so that there can be an early hearing of the case towards final resolution.

[No. ADVT/III/IV/143/97 Exty]

S. SATHYAM, Chairman

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.